न्यायालय सिविल जज जू०डि०, खलीलाबाद स्थान–बस्ती
मूलवाद सं० 106/2020
पूर्णवासी बनाम राजेश कुमार आदि
C.N.R.No. UPBS120001412020

03.03.2020

पेश हुआ। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर वादी अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि वादी द्वारा विवादित आराजियात वर्णित सम्पत्ति सूची 'अ' एवं 'ब' प्रदर्शित वादपत्र के संबंध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। अपने कथन के समर्थन में सूची 9 ग 1 द्वारा नकल वसीयतनामा 11 ग 1/1 लगायत 11 ग 1/7, नकल खतौनी 12 ग 1/1 लगायत 12 ग 1/5, दाखिल किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वसीयतनामा की मंसूखी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग 2 दिनांक–17.03.2020 को पेश हो।

सिविल जज जू०डि०
खलीलाबाद स्थान– बस्ती
(J.O.Code UP 2272)